



MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT
SHRAM SHAKTI BHAVAN
NEW DELHI - 110001

अपील

दिनांक: 13 सितम्बर, 2021

जैसा कि आप सभी को विदित है कि हमारे संविधान में हिन्दी को राजभाषा के रूप में अंगीकार किया गया है। राजभाषा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए हमारा मंत्रालय पूर्णतः प्रतिबद्ध है। यह बड़े हर्ष का विषय है कि हमारा मंत्रालय 14 सितम्बर, 2021 से 28 सितम्बर, 2021 तक हिन्दी पखवाड़े का आयोजन कर रहा है। इस अवसर पर मंत्रालय के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं तथा उनसे अनुरोध करता हूं कि इस पखवाड़े के दौरान आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिताओं में बढ-चढ कर भाग लें तथा इसे सफल बनाएं।

राजभाषा नियम, 1976 के नियम 12 के अनुसार, केन्द्र सरकार के प्रत्येक कार्यलय के कार्यालय प्रमुख का यह उत्तरदायित्व है कि वह अपने कार्यालय में राजभाषा अधिनियम, नियमों तथा समय-समय पर राजभाषा विभाग द्वारा जारी अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराए। तदनुसार, मैं मंत्रालय के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों से अपील करता हूं कि वे अपना अधिकांश कार्यालयी कामकाज राजभाषा हिन्दी में करें तथा राजभाषा अधिनियम एवं नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु गंभीरतापूर्वक प्रयास करें।

सरकारी कामकाज में सरल हिन्दी के प्रयोग से हम मंत्रालय की कल्याणकारी योजनाओं तथा कार्यक्रमों के लाभ आम जन तक पहुंचा सकते हैं। अतः मैं पुनः मंत्रालय के सभी कार्मिकों से अपील करता हूं कि वे अपना अधिकांश कार्य हिन्दी में करें ताकि राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित की जा सके।

अपूर्व चंद्रा
(अपूर्व चन्द्रा)

प्रति: मंत्रालय के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी।